TWO RUPEES दस रुपये TEN RUPEES ONE RUPEE

133

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क /2014 निगरानी R-2077-II/14

दामोदर चौबे पुत्र श्री ग्यारी राम चौबे, निवासी– ग्राम लाँच, तहसील इंदरगढ़ जिला दतिया म.प्र.

.........आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 8.7.14 को प्रस्तुत

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह कटियार पुत्र श्री ज्ञानसिंह कटियार, निवासी– पिपरौआ, तहसील इंदरगढ़, जिला दतिया
2. घनश्याम सोनी पुत्र श्री धनीराम सोनी
3. मनोज पुत्र श्री रामचरण
4. हरीराम, (5) दयाराम पुत्रगण हरप्रसाद
6. नारायण पुत्र श्री बल्लू, (7) रामदीन पुत्र श्री फुन्दी
8. अनुज चौबे पुत्र श्री कालीचरण
9. कालीचरण, (10) रमेश, (11) अशोक कुमार, पुत्रगण श्री ग्यासीराम चौबे, (12) सुनीता पुत्री श्री ग्यासी, समस्त निवासीगण – ग्राम लाँच, तहसील इंदरगढ़ जिला दतिया

.....अनावेदकगण

(L.S. Dhakad Adv.) 8/7/14

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व सहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसीलदार इंदरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 25/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य

यह कि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 251, रकवा 1.250 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 252/1 रकवा 0.600 हैक्टेयर कुल किता 2, कुल रकवा 1.850 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्राम लॉच तहसील इंदरगढ़ जिला दतिया के भूमि स्वामी

... सुनवाइ का

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2077–दो/2014 जिला –दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
20–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी इंदरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण कमांक 25/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05–03–2014 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। 2–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5.3.14 को रिव्यु की अनुमति प्रदाय की गई है, उसमें आवेदक को सुने बिना अनुमति प्रदान की गई इससे वह त्रुटिपूर्ण है। जबकि अनुविभागीय अधिकारी को उभयपक्ष को सुनकर ही अनुमति प्रदान करना थी लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया मात्र " **अनुमति प्रदान की जाती है।** " इससे अनुविभागीय अधिकारी इंदरगढ़ जिला दतिया का आदेश दिनांक 5.3.14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 3– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा जो तर्क दिये है उसमें बल मिलता है। उभयपक्ष को रिव्यु अनुमति से पूर्व सुना नहीं गया है	

//3//

और मात्र यह अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ द्वारा लेख किया गया है कि " **अनुमति प्रदान की जाती है।** इससे उनका आदेश त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी इंदरगढ़ जिला दतिया के प्रकरण कमांक 25/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05–03–2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी इंदरगढ़ जिला दतिया को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये रिव्यु की अनुमति पर पुनः विचार करें। पक्षकार सूचति हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। इस न्यायालय का प्रकरण संचय हेतु राजस्व मण्डल अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य